

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 17 अप्रैल, 2025

सार्वजनिक सूचना संख्या 02/2025-26

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई (सीएसएमआईए) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई (सीएसएमआईए) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।

2. इसके जवाब में प्राधिकरण को निम्नलिखित हितधारकों से टिप्पणियां/प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं:-

क्र. सं.	हितधारक
1	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएल)
2	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआई)
3	डेलही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएल)
4	बैंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएल)
5	एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स (एपीएओ)
6	इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए)
7	फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए)
8	एयरलाइन्स ऑपरेटर्स कमेटी (एओसी)
9	बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (बीएओए)
10	बृहमुम्बई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन (बीसीबीए)
11	बोर्ड ऑफ एयरलाइन रिप्रजेंटेटिव्स इन इंडिया (बीएआर)

ऊपर बताए अनुसार प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां सभी संबंधितों की जानकारी के लिए ऐरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

